

विषय:- रिट पटीशन नं. w.p. 1585/2016 द्वारा श्री अखिलेश शुक्ला एवं अन्य दै०वे०भो० श्रमिक वनमण्डल सिंगरौली विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

श्री अखिलेश कुमार शुक्ला एवं अन्य दै०वे०भो० श्रमिक ने म०प्र० शासन एवं अन्य के विरुद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/ खंडपीठ/ इन्दौर/ ग्वालियर में दायर की है। जिसमें प्रथम पेशी दिनांक 14.03.2016 को नियत है, जिसकी सूचना इस कार्यालय में दिनांक 04.03.2016 को प्राप्त हुई है। प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाना है।

अतः शासन पक्ष समर्थन करने हेतु वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

मूलतः पृष्ठ 01 से 10 तक

aw/5/3

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मानव संसाधन विकास, भोपाल, म.प्र.

✓ पदेन सचिव वन (आई.डी.सी.)

उपरोक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जो नीचे ध्वज "अ" पर व्यवस्थित है। पक्ष समर्थन का आदेश जारी किया जाना है। कृपया पक्ष समर्थन आदेश जारी करने का कष्ट करें।

1000/3.16
पदेन सचिव वन (आई.डी.सी.)

सचिव, विधि विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 083


भोपाल, दिनांक: 08/03/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक-5) आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए वन संरक्षण अधिकारी दिंगेश्वरी को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के प्रकरण क्रमांक 1488/1585/2016 द्वारा श्री अश्विनेश शर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में शासन की ओर से म.प्र.राज्य के लिये तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने तथा उन्हें संचालित करने लिए एवं कार्य करने और उप संज्ञात होने के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तर दायित्वों के अतिरिक्त वे अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी स्थिति में जिसके बारे में नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा, जैसा की आवश्यकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग से परामर्श किया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज नियम, अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
 - (क) वादपत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (घ) मामले के विरदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले में उनके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टता या म.प्र. राज्य के विरुद्ध धारित किया जाता है, जब विधि विभाग को सूचित करना हो, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए विभाग को भेजेगी।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्ति नहीं कर दिया जाय।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई नहीं रह जाये।

- (13) प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही बात का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति तत्काल प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी बात के प्रक्रम पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव एतद् उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाये, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।
- (15) न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छंटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है ध्यान आकर्षित कराएगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।
- (16) जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को फक्षकार बनाया जाता है उन सभी प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित कराते हुए प्रकरण में रिटर्न प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(अनंत वर्मा)
सचिव

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक : 08/3/2016

पृ. क्रमांक/आई.डी.सी./कोर्ट केस/ 083

प्रतिलिपि :-

1. महाधिवक्ता म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल
3. जिलाध्यक्ष खिन्सोली जिला खिन्सोली म.प्र.।
4. ~~वन संरक्षक अधिकारी खिन्सोली~~ प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर और " उपस्थिति प्रमाण पत्र " प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और अपनी प्रगति के साथ उसे विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति/रिपोर्ट इस विभाग के साथ विधि विभाग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए।
5. खिन्सोली की ओर लेख है कि प्रकरण से संबंधित याचिका एवं समस्त दस्तावेज संबंधित प्रभारी अधिकारी को तत्काल सौंपकर इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
6. मुख्य वन संरक्षक खिन्सोली वृत्त खिन्सोली म.प्र.।
7. ~~वन संरक्षक अधिकारी खिन्सोली~~ (M.P.O) म.प्र. भोपाल की ओर उनकी अशासकीय टीप क्रमांक/058 दिनांक 05/03/2016 द्वारा दिये गये प्रस्ताव के संबंध में सूचनार्थ।
8. उप वन संरक्षक न्यायालीन प्रकरण जबलपुर मध्यप्रदेश।
9. रजिस्ट्रार म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
10. शासकीय अधिवक्ता म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सर्तकता शिकायत/मोडल अधिकारी न्यायालीन प्रकरण) मध्यप्रदेश भोपाल।


सचिव
वनोपज अन्तर्विभागीय समिति एवं पदेन सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कचलिय वन हन सीवा मण्डल

क्र/व्यापार/ 1869

सीवा दिनांक/ 3-3-16

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मानव संसाधन विभाग

सतलुडा गवन मोपाक मण्डल

विषय- W.P. 1585/2016 द्वारा अरिवलेश शुक्ला एवं अन्य दौरे में मोपाक
वनमण्डल सिगारोली विभाग मण्डल शासन एवं अन्य में प्रगती
अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ- उप प्रांतीयक उच्च न्यायालय जलपुर का प्रोविस आर्डर. 18909
दिनांक - 02.02.2016

विषयवस्तु प्रकरण क्र/ W.P. 1585/2016 श्री अरिवलेश शुक्ला एवं
अन्य एक दौरे में मोपाक द्वारा व्यक्ति मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केसर
जिला- सिगारोली के प्रकरण क्र/ 21/2012 में जारी निर्णय दिनांक 05.08
के पालन में वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिगारोली द्वारा जारी
दोषी शर्तियों की सेवा समाप्ति आदेश क्र/ 1487/28 दिनांक/ 14.10.16
के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जलपुर में याचिका दायर
किया गया है। प्रकरण में मण्डल शासन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु मान
उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.3.2016 तक का समय सीमा निपट हो
गया है।

अतः W.P. 1585/2016 की अरिवलेश शुक्ला एवं अन्य विरुद्ध
मण्डल शासन एवं अन्य में वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिगारोली व
प्रगती अधिकारी नियुक्त कराने का कष्ट करें, ताकि प्रत्यावर्तित निपट
समय में प्रस्तुत कराया जा सके।
संलग्न- उपरोक्तानुसार याचिका की प्रति।

दिनांक 05/03/2016

वन संरक्षण
विभाग, सीवा (म.प्र.)

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 18905/2016

WP/1585/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of
Judicature
at Jabalpur

for admission

Fixed for 14-03-2016

WP-DA-9

Respondent No. 3

2307
27-2-16

To,

Chief Conservator Of Forest Forest
Department.
Distt. Rewa,
District- Rewa (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 02-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 3 in writ Petition (Mandamus Prohibition Certiorari Quo Warranto) No. **WP/ 1585/ 2016**

Sir/Madam.

I am directed to inform you that one **Akhilesh Shukla** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/1585/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

3

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No. 1585 /2016

PETITIONERS : Akhilesh Shukla and Another

VERSUS

RESPONDENTS : State of Madhya Pradesh & Ors.

INDEX

S. No.	Description of Documents	Annex.	Page No.
01.	Index		01
02.	Chronological dates & events		02
03.	Writ Petition U/a 226 of the Constitution of India along with affidavit		03-9
04.	List of Documents		10
05.	Copy of impugned order dated 14/01/2016	P - 01	11
06.	Copy of list of daily wages of forest division erstwhile Distt. Sidhi	P - 02	12-20
07.	Copy of judgment passed by Magistrate	P - 03	21-31
08.	Copy of order dated 05/08/2015	P - 04	32-35
09.	Copy of order dated 14/08/2015	P - 05	36-38
10.	Copy of letter dated 09/10/2015	P - 06	39
11.	Copy of opinion	P - 07	40
12.	Copies of letters dated 05/10/2015	P - 08 & P-09	41-42
13.	Copies of reply filed by petitioners	P - 10 & P-11	43-48
14.	Copy of M.P. Daily Wages Employees (Conditions of Service) Rules, 2013	P - 12	49-51
15.	Vakalatnama		52

JABALPUR

DATE : 21/ /2016

(Vijay Kumar Shukla)
COUNSEL FOR PETITIONERS

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR,

Writ Petition No. _____ /2016

PETITIONERS _____ and Another

VERSUS

RESPONDENTS _____ State of Madhya Pradesh & Ors.

CHRONOLOGICAL DATES AND EVENTS

Date	Event
Year 2004	The petitioners were appointed as _____ in the _____ department and are working since 2004. The names of the petitioners have been included in the list of the daily wages employees who are to be considered for regularization. The grant of payment as per the government circulars.
14/01/2016	Impugned order passed by Respondent No.4 _____ holding any inquiry.
05/08/2015	Petitioners were falsely implicated in a criminal case. They have been convicted by judgment and sentenced to imprisonment for 1 year and fine of Rs.2500/-.
05/08/2015	The order was stayed by the learned Magistrate.
14/08/2015	The said order was further affirmed by the appellate court and the stay has been continued till the decision of the appeal.
09/10/2015	Respondent No.4 sought an opinion in the matter whether the services of the petitioners can be terminated. An opinion was given that considering the fact that appeal is pending and there is stay on the punishment.
05/10/2015	The Respondent No.4 by letter asked the petitioners to submit the reply.

JABALPUR
DATE : ____ / ____ /2016

(**Vijay Kumar Shukla**)
COUNSEL FOR PETITIONERS